

2025/482

ग्रामीण सेवा शिविर-2025

राजस्थान सरकार

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर (सीकर)


क्रमांक / रीडर / 2025 / 3648

दिनांक 06/10/2025

उपरोक्त प्रकरण - पुत्रव्याज वनाम भूमिधारी तहसीलदार
प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0 आर0 एक्ट, 1956
मुकदमा संख्या - 170 / 2025

-: दुरुस्ती का राजस्व रिकार्ड में अंकन करने का आदेश :-

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि तहसीलदार श्रीमाधोपुर ने जरिये पत्रांक
02 / भूअ. / 2025 दिनांक 19/09/2025 के द्वारा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956
की धारा -136 के अन्तर्गत भिजवाये गये राजस्व ग्राम शायपुरजागीर पटवार हल्का शायपुरजागीर
तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर के भूमि खाता संख्या 189 में खातेदार देयाल
पुत्र परना जाति अहीर के स्थान पर पुत्रव्याज पुत्र परना जाति अहीर का
नाम दुरुस्त किये जाने के आदेश जारी किये गये हैं। पटवारी हल्का शायपुरजागीर
उपरोक्त आदेशानुसार राजस्व रिकार्ड में दुरुस्ती कर पालना रिपोर्ट एक माह में इस
कार्यालय को भिजवाया जाना सुनिश्चित करावे।



उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

क्रमांक / रीडर / 2025 / 3649-50

दिनांक 06/10/2025

प्रतिलिपि :- निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ:-

1. तहसीलदार श्रीमाधोपुर (सीकर) को सूचनार्थ।
2. पटवारी हल्का शायपुरजागीर तहसील श्रीमाधोपुर को पालनार्थ।


उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

